(25)

ओरमांझी

अंचल अधिकारी .... का कार्यालय

2.4.18

अभिलेख वाद संख्या– 26(X)2018-19

वाद का प्रकार– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत् जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 सहपठित–श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3–खा0म0विवि–110/85/2306/रा0, दिनांक–03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या–914/रा0, दिनांक–09.12.1996 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :–

मौजा– रेकनुआ, थाना– ओरमांझी-45, खाता संख्या– 70, प्लॉट संख्या– 205, रकबा– 0.66 डि., एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द संख्या– I के पृष्ठ संख्या– 120 पर जमाबंदी रैयत मलगा सोरेन पि० – चुड़ू सोरेन के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत् जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनसे कारण–पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक– 10.4.18 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

2/4/18

अंचल अधिकारी

E:\Sec 5 New\Awaidh Jamabandi.docx

Scanned with CamScanner

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
10.4.18	अभिलेख उपस्थापित। संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस तामिला प्राप्त हुआ। नोटिस के आलोक में निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत के वंशज द्वारा उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित दस्तावेजो/निर्गत लगान रसीद की प्रति एंव अन्य राजस्व दस्तावेजो की प्रति समर्पित किया हैं/नहीं किया हैं, जो अभिलेख में संलग्न है। अभिलेख दिनांक 16.4.18 को उपस्थापित करें। 10/4/18 अंचल अधिकारी गोविन्दपुर	
16.4.18	अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया हैं, कि उपर्युक्त भू–खण्ड गैर आबाद खाता की है। मौजा रिंगकुआं थाना सं0 208 खाता सं0 70, प्लॉट सं0 — कुल रकवा–0.66 ए. जो जमाबंदी संख्या–120 में निहित है। जमाबंदी रैयतों के वंशज द्वारा समर्पित साक्ष्य स्वरूप सरकारी भूमि का दस्तावेज वो लगान रसीद समर्पित हैं। वर्णित जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर निर्गत लगान रसीद/जबर दखल के आधार पर जमाबंदी कायम की गयी है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त विवरणी की भूमि की सृजित जमाबंदी संदिग्ध/अवैध प्रतीत होता है। राजस्व कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक द्वारा वर्णित जमाबंदी सं0–120 को रद्द करने हेतू जॉच प्रतिवेदन प्रतिवेदित किया है। अनुशंसित जॉच प्रतिवेदन से से सहमत होते हुए अभिलेख मूल में आवश्यक कार्रवाई हेतू भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद को भेजे। 16/04/18 अंचल अधिकारी गोविन्दपुर	

अभिलेख आज उपस्थापित/ अंचल अधिकारी गोविंदपुर के पत्रांक 608 दिनांक 18/4/18 द्वारा अभिलेख प्राप्त है। जमाबंदी धारक को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत कर एवं अभिलेख दिनांक 22/6/18 को प्रस्तुत करे।

[signature]

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता

धनबाद।

22/6/18 अभिलेख आज उपस्थापित [illegible] अभिलेख 20/7/18 को प्रस्तुत करें।

20/7/18 अभिलेख आज उपस्थापित [illegible] अभिलेख दिनांक 20/8/18 को [illegible]

[signature]

20/8/18 अभिलेख आज उपस्थापित विपक्षी की ओर से [illegible] आवेदन [illegible] अभिलेख दिनांक 7/9/18 को प्रस्तुत करें।

7/9/18 अभिलेख आज उपस्थापित [illegible] अभिलेख दिनांक 5/10/18 को प्रस्तुत करें।

[signature]